

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-4472 / 2022

सरोज

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बग्गड़ (Baggad), जिला झुंझुनूं।
5. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बग्गड़ (Baggad), जिला झुंझुनूं।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2022

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4'ए' के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर सी.एच.सी., बग्गड़ (Baggad), जिला झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र, दानपुरा (Danpura), जिला बाड़मेर में 500 कि.मी. दूर कर दिया गया। अपीलार्थी को यात्रा-भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया, जो कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 17 (1) के परिशिष्ट की अभ्युक्ति सं. 4 के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पति भी केन्द्रीय सरकार में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि यथासम्भव पति-पत्नी को निकट स्थान या जिले में पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की अनुमति के बिना किया गया है जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सी.एच.सी., बग्गड़ (Baggad), जिला झुंझुनू में ही कार्यरत रखे जाने एवं समस्त परिणामिक लाभ दिये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से

निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य